

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक  
(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

सरकार  
बनाम  
अज्ञात

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-34/2019-20

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

**आदेश**


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-77/अप० शा० दिनांक-10.01.2020 द्वारा सिसई थाना काण्ड सं०-167/2018 दिनांक-19.11.2018 धारा-21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957, 54(5) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2017, 3/9/4 झारखण्ड खनिज नियमावली 2005 एवं 4 खान खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957 के आलोक में अवैध रूप से बालू चोरी कर ले जाते समय पकड़े जाने के आरोप में जप्त जे०सी०बी० मशीन नं०- JH07E-6035, हाईवा गाडी नं०- JH01CU-4825, हाईवा गाडी नं०- JH01CD-5813, हाईवा गाडी नं०- JH01CS-3574, हाईवा गाडी नं०- JH01(T)MP-2574, हाईवा गाडी नं०- JH01BM-4488, एवं ट्रक नं०- CG14A-2016 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-34/2019-20 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

  
24.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला

  
24.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला